

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.2(3)(अ)सा.सू./24-11/आ.कृ./10555-75

दिनांक : 4.8.2020

शुद्धि पत्र

आयुक्तालय के समसंख्यक आदेश संख्या एफ.2(3)अ/सा.सू./11/आ.कृ./10392-447 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा जारी आदेश में अन्तरिम वरिष्ठता सूची के स्थान पर अंतिम वरिष्ठता सूची पढा जावें।



(सीताराम जाट)


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक एफ.2(3)(अ)सा.सू./24-11/आ.कृ./10555-75

दिनांक : 4.8.2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सी.ए.डी. कोटा।
2. निदेशक, उद्यान विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, कृषि विपणन राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)/(उद्यान).....।
5. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
6. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद...../ विस्तार इगानप बीकानेर/
भू-सर्वेक्षण बीकानेर (आत्मा) सिसोही।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को भेजकर निवेदन है कि अंतिम वरिष्ठता सूची को कृषि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगोद।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति, आनन्दपुरी/मालपुरा/सलूमबर/मकराना।
10. प्रभारी सांख्यिकी शाखा राजपत्रित।
11. संबंधित श्री.....।
12. आरक्षी पंजिका



(बी.एल.कुमावत)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)